यावि सुभाष बनाम हरिकृष्ण
वाद मुकदमा नं ...

अनवानी सरकार बनाम हरमिन्द्र सिंह
प्रकरण सं. 233/2024

06.06.25 पैरोकार राज उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी हरमिन्द्र सिंह पुत्र आत्मा सिंह द्वारा जरिए वकील श्री प्रदीप सिहाग के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये कि उपरोक्त अनवानी पत्रावली दिनांक 22.04.2025 की तारीख पेशी में वास्ते जवाब हेतु निश्चित है। प्रार्थी के नाम चक 1 ए छोटी, श्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/6 के मुरब्बा नम्बर 66 के किला नम्बर 18/2 में 0.1265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपरोक्त अनवानी प्रकरण जरिये सरकार प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में कोई मकान, सडक आदि का निर्माण नहीं किया गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी कर रखी है जो एक कृषक करने में सक्षम है तथा वह अकृषि कार्यो के उपयोग में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा उक्त कृषि भूमि में कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप उपरोक्त अनवानी पत्रावली में की गई कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जानी न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवानी पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही को समाप्त की जावे । वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया कि यदि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करना होगा तो वह उक्त रकबा को संपरिवर्तित करवाने के पश्चात् ही अकृषि कार्य में उपयोग करेगा। राज पैरोकाराज द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी यदि उक्त रकबा को संपरिवर्तित करवा कर अकृषि कार्य में उपयोग करे तो स्टेट को कोई ऐतराज नहीं है।

वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी करने का कथन किया गया है, परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. में अभिलिखित कथनों के आधार पर मौका पर हुए निर्माण से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में यह भी कथन किए गये हैं कि यदि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करना होगा तो वह उक्त रकबा को संपरिवर्तित करवाने के पश्चात् ही अकृषि कार्य में उपयोग करेगा। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को

रोकना है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर. टी.ए. इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी **90 दिवस** के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

यदि इस अवधि में संपरिवर्तन की कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हो पाती है तो प्रार्थी के आवेदन, अग्रिम शुल्क जमा होने, किसी नवीन निर्माण/अकृषि प्रयोग नहीं होने की स्थिति पर विचार कर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा समयावधि में एक बार के लिए शिथिलन दिया जा सकेगा।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. **खारिज किया जाता है।**

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 06.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner